तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **सेजी बनाम ओखाराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 05/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
20.01.2025	अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा बिछावाडी, पटवार हल्का–बिछावाडी, तहसील–सांचौर में प्रार्थीया के बाप दादाओं की पुश्तैनी खेत खसरा संख्या 1573 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 1574 रकबा 2.66 हैक्टेय जाव सोयम चाही सोयम खसरा नंबर 1577/1898 रकबा 0.15 हैक्टेयर बारानी सोयम, खसरा नंबर 1578/1899 रकबा 0.10 हैक्टेयर बारानी सोयम, खसरा नंबर 1615 रकबा 4.66 हैक्टेयर जाव सोयम, खसरा नंबर 1615/1982 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बैरा जुमले रकबा 7.57 हैक्टेयर एवं मौजा प्रजापतिनगर, पटवार हल्का–बिछावाडी, तहसील–सांचौर के खेत खसरा नंबर 1749 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नंबर 1750 रकबा 1.32 हैक्टेयर बारानी सोयम, खसरा नंबर 1751 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 1752 रकबा 9.18 हैक्टेयर बारानी सोयम, खसरा नंबर 1783 रकबा 0.15 हैक्टेयर बारानी दोयम, जुमले रकबा 10.73 हैक्टेयर आयी हुई है तथा गिरदावरी भी प्रार्थीया के नाम से तज्वीज होती आ रही है। इस प्रकार आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा मालिकाना हक हकूक, कब्जाकाश्त का आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 स्व. केवला के वारिसों में नाजायज गिरोह बना रखा है। वादग्रस्त आराजी में अपने नाम से अवैध विधिविरूद्व दर्ज इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी को आगे से आगे हस्तांतरण विक्रय, रहन, तर्क वगैरह करने के लिए यैन–केन प्रकारेण कब्जेकाश्त से जबरन बेदखल कर वादग्रस्त आराजी में अवैध व विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थीया के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त दखलंदाजी पैदा करते है तथा आये दिन टण्टा फसाद करते है। प्रार्थीया को काश्त करने में भारी विघ्न पैदा करते है। प्रार्थीया महिला है, जिससे इनके गिरोह का सामना नहीं कर सकती है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजी का अप्रार्थीगण किसी प्रकार का बैचान, रहन, तर्क बख्शीश, वसीयत इत्यादि न करे एवं प्रार्थीया कें कब्जेकाश्त में अप्रार्थीगण दखलंदाजी न स्वयं करे न अन्य से करावें तथा भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उक्त भूमि संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण बनायें रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने तथा सारवान होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रमोद कुमार, आर.ए.एस) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:16 IST
Reason: SelfAttested